

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 14, 2013/श्रावण 23, 1935

No. 178]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 14, 2013/SHRAVANA 23, 1935

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2013

फा.सं. 8-37/2010-अकादमी.—भारत सरकार ने दिनांक 29 अक्टूबर, 2004 की समसंख्यक शुद्धिपत्र अधिसूचना और 25 नवंबर, 2005 की समसंख्यक अधिसूचना के साथ पठित दिनांक 12 अक्टूबर, 2004 की अधिसूचना सं. IV-14014/7/2004-एनआई-II के माध्यम से 'प्राचीन भाषाओं' के रूप में भाषाओं की एक नई श्रेणी का सृजन किया है और 'प्राचीन भाषा' के रूप में वर्गीकरण के लिए विचार किए जाने हेतु भाषाओं की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को निर्धारित किया है :—

- संबंधित भाषा के आरंभिक पाठों की उच्च पुरातनता / 1500-2000 वर्षों की अवधि का दर्ज इतिहास ;
- प्राचीन साहित्य / पाठों का ऐसा संचित निकाय जिसे, इसे बोलने वाली पीढ़ी-दर-पीढ़ी द्वारा मूल्यवान विरासत माना जाता हो ;
- इसकी साहित्यिक परम्परा मौलिक होनी चाहिए जिसे अन्य भाषा समुदाय से ग्रहण न किया गया हो;
- प्राचीन भाषा और साहित्य के इसके आधुनिक रूप से भिन्न होने के कारण, प्राचीन भाषा तथा इसके उत्तरवर्ती स्वरूपों अथवा इसकी प्रशाखाओं के बीच भेद भी हो सकता है ;

2. एतद द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि 'मलयालम भाषा' उपरोक्त मानदंडों को पूरा करती है और आगे से इसे 'प्राचीन भाषा' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
3. यह अधिसूचना मद्रास में न्यायाधिकरण के उच्च न्यायालय में 2008 की रिट याचिका संख्या 18810 के निर्णय के अधीन है।

अरविन्द मंजीत सिंह, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF CULTURE

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2013

F. No. 8-37/2010-Akademies—Government of India created a new category of languages as 'Classical Languages' vide Notification No. IV-14014/7/2004-NI-II dated 12th October, 2004 read with the Corrigendum Notification of even number dated 29th October, 2004 and Notification of even number dated 25th November, 2005 and laid down the following criteria to determine the eligibility of languages to be considered for classification as a 'Classical Language': —

- (i) High antiquity of its early texts/ recorded history over a period of 1500- 2000 years.
 - (ii) A body of ancient literature/ texts, which is considered a valuable heritage by generations of speakers.
 - (iii) The literary tradition be original and not borrowed from another speech community.
 - (iv) The classical language and literature being distinct from modern, there may also be a discontinuity between the classical language and its later forms or its offshoots.
2. It is hereby notified that the 'Malayalam Language' satisfies the above criteria and will henceforth be classified as a 'Classical Language'.
 3. This Notification is subject to the decision in Writ Petition No. 18810 of 2008 in the High Court of Judicature at Madras.

ARVIND MANJIT SINGH, Jt. Secy.